

# छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड

निविदा क्र. 01-01/टी-वाहन/2020-21/03 दिनांक 14.10.2020  
खुलने की दिनांक- 04.11.2020, सायं - 4.00 बजे

निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 560/- (500/- + 60/- GST @ 12%)

दो वर्ष की अवधि के लिये 1 नग कटेगिरी-II अथवा समकक्ष  
वाहन मय वाहन चालक तथा एक अतिरिक्त वाहन चालक के साथ किराये  
पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र

मेसर्स

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

नोट:- सशर्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी।

कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)  
छ0स्टे0पा0हो0कं0लिमि0, रायपुर

**“स्वयं एवं राष्ट्र हेतु बिजली की बचत कीजिए।”**

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, रायपुर को एक नग कटेगिरी-II अथवा समकक्ष वाहन की लगभग एक वर्ष के लिये आवश्यकता है। इच्छुक ट्रेवलिंग एजेंसी से बिन्दुवार मुहरबंद भावपत्र दिनांक 04.11.2020 तक आमंत्रित किये जाते हैं। विशेष नियम एवं शर्तें परिशिष्ट-दो में उल्लेखित हैं।

(अ) निविदाकर्ता हेतु अर्हताएँ :-

क्र.	निविदा की अर्हताएँ	आवश्यक दस्तावेज
1	निविदाकर्ता को कंपनी / पार्टनरशिप फर्म / कोऑपरेटिव्ह सोसायटी / प्रोप्रायटरी फर्म होना चाहिए।	<p>1. कंपनी / पार्टनरशिप फर्म / कोऑपरेटिव्ह सोसायटी के लिए – कंपनी / पार्टनरशिप फर्म / कोऑपरेटिव्ह सोसायटी के रूप में पंजीकरण का दस्तावेज</p> <p>अथवा</p> <p>कंपनी / पार्टनरशिप फर्म / कोऑपरेटिव्ह सोसायटी का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट (बिजनेस अकाउंट से संबंधित)</p> <p>प्रोप्रायटरी फर्म के लिए – प्रोप्रायटरी फर्म का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट (बिजनेस अकाउंट से संबंधित)</p> <p>2. नगर निगम / नगर पालिक निगम / नगर पालिका द्वारा "छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958" के तहत जारी दुकान एवं स्थापना का पंजीयन।</p> <p>3. PAN कार्ड।</p> <p>4. EPF &amp; ESIC रजिस्ट्रेशन।</p> <p>5. GST रजिस्ट्रेशन।</p>
2	किसी शासकीय विभाग / शासकीय अंडरटेकिंग में मासिक मासिक किराया आधार पर कम से कम 1 वर्ष हेतु प्रदाय करने का आदेश प्राप्त हुआ होना चाहिए।	शासकीय विभाग / शासकीय अंडरटेकिंग में कम से कम 1 वर्ष हेतु वाहन प्रदाय संबंधी आदेश की छायाप्रति।

(ब) सामान्य शर्तें :-

- निविदा दस्तावेज दिनांक 03.11.2020 संध्या 5.00 बजे तक कार्यालयीन दिवसों में विक्रय हेतु उपलब्ध रहेंगे जो कि दिनांक 04.11.2020 को 3 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। निविदा दिनांक 04.11.2020 को सायं 4.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा खुलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं। निविदा प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।
- वाहन का उपयोग अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता संबद्ध अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी के कार्यालयीन कार्य हेतु रायपुर शहर अथवा छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं पर भी किया जावेगा। वाहन का उपयोग वाहन लगाने की तिथि अथवा अनुबंध की तिथि, से एक वर्ष के लिये किया जावेगा। अनुबंध की अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। वाहन चालन की मासिक दर 1000 कि.मी. के लिए एवं उससे कम व अधिक चलाने की दर अलग-अलग दर्शायी जावे। वाहन अधिकतम चार वर्ष पुराना और 80,000 कि.मी. से अधिक चला हुआ नहीं होना चाहिए।
- कंपनी के हित में किसी भी निविदा को या सभी निविदाओं को पूर्णतः या अंशतः स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है, चाहे वह न्यूनतम दर हो अथवा न हो। उक्त हेतु कारण बताना कंपनी के लिये आवश्यक नहीं होगा।

4. वाहन मय वाहन चालक के साथ एक अतिरिक्त वाहन चालक उपलब्ध कराने हेतु किराये पर लिये जाने की दरें एवं वाहन का प्रकार, मेक, माडल, रजिस्ट्रेशन क्रमांक, वाहन का किराया प्रतिमाह 1000 कि.मी. तक तथा 1000 कि.मी. से अधिक एवं 1000 कि.मी. से कम चलने पर कटौती की दर निर्धारित **परिशिष्ट-तीन** में ही भरें। वाहन 4 वर्ष से अधिक पुराना एवं 80,000 किलो मीटर से अधिक चला हुआ नहीं होना चाहिए।
5. यदि निविदाकर्ता फर्म द्वारा, निविदा के अन्तर्गत नवीन वाहन खरीदकर कंपनी में किराए पर लगाना है, तब वह कृपया **परिशिष्ट-तीन** में नवीन वाहन खरीदना स्पष्टतः दर्शायें। वाहन लगाने के पूर्व इस कार्यालय को कंपनी के अधिकृत विक्रेता के माध्यम से वाहन खरीदने का साक्ष्य प्रेषित करें। यदि निविदाकर्ता फर्म द्वारा वर्तमान में उपलब्ध वाहन को निविदा के अन्तर्गत किराए पर लगाना है, तब वाहन का रजिस्ट्रेशन (टेक्सी कोटा में) एवं कमर्शियल इन्श्योरेंस की फोटोकॉपी अपने निविदा के साथ संलग्न करें।
6. निविदा के साथ वाहन के लिए अमानत राशि (EMD) के रूपये में ₹ 12,000/- (रुपये बारह हजार) मात्र का मांग-पत्र अथवा पे-आर्डर जो कि **"छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड"** के पक्ष में देय हो, पृथक से लिफाफे में संलग्न करना आवश्यक है। अमानत राशि (EMD) के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. निविदाकर्ता को निविदा निम्न प्रकार से जमा करनी होगी :-
  - (अ) **प्रथम लिफाफा:-** इस लिफाफे में अमानत राशि जो कि माँग पत्र अथवा पे-आर्डर के रूप में होनी चाहिए, रखकर लिफाफे को सील किया जाना चाहिए एवं लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से **"अमानत राशि"** लिखा जाना चाहिए। लिफाफे के ऊपर निविदा क्रमांक, निविदा खुलने की तारीख एवं निविदाकर्ता का नाम, पता भी अंकित होना चाहिए।
  - (ब) **द्वितीय लिफाफा:-** इस लिफाफे में इस कार्यालय द्वारा जारी मूल निविदा प्रपत्र रखे जावेंगे, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील होना अनिवार्य है। इसी लिफाफे में निविदा के साथ माँगे गए समस्त दस्तावेज भी रखे जावेंगे। **(परिशिष्ट-3 को छोड़कर)** जिसके अभाव में निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है। इस लिफाफे के ऊपर **"निविदा प्रपत्र एवं शर्तें"** लिखकर लिफाफा सील करना होगा। लिफाफे के ऊपर निविदा क्रमांक, निविदा खुलने की तारीख एवं निविदाकर्ता का नाम, पता भी अंकित होना चाहिए।
  - (स) **तृतीय लिफाफा:-** इस लिफाफे के अंदर **परिशिष्ट-3** को पूर्ण रूप से भरकर एवं हस्ताक्षर करने के पश्चात् रखकर सील किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राइटिंग की दशा में कटिंग/ओवर राइटिंग के बाद निविदाकर्ता के सील सहित हस्ताक्षर होना चाहिए। इस लिफाफे के ऊपर **"प्राइस बिड"** लिखा जाना चाहिए एवं लिफाफे पर निविदा क्रमांक, निविदा खुलने की तारीख एवं निविदाकर्ता का नाम, पता भी अंकित होना चाहिए।

यदि निविदा प्रपत्र विद्युत कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, तो ऐसी स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र का मूल्य ` 590/- (रुपये पाँच सौ नब्बे) (500/- + 18% GST) मात्र की डीडी/बैंकर्स चेक प्रथम लिफाफे में रखना होगा जिस पर स्पष्ट रूप से **"निविदा प्रपत्र का मूल्य"** अंकित होना चाहिए। निविदा प्रपत्र का मूल्य प्राप्त नहीं होने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

कटिंग/ओवर राइटिंग पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं होने की स्थिति में निविदा को अमान्य किया जावेगा। उपरोक्त तीनों लिफाफों को एक पृथक चौथे लिफाफे में रखकर सील करने के पश्चात् लिफाफे पर निविदा क्रमांक, निविदा खुलने की तारीख एवं निविदाकर्ता का नाम, पता स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए। उपरोक्त प्रकार से निविदा प्राप्त नहीं होने पर निविदा को अस्वीकार किया जावेगा।

**निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील**

8. निविदा खोलने के उपरांत न्यूनतम दर प्रदाता फर्म को 07 दिवस के भीतर वाहन को निरीक्षण हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। निरीक्षणोपरांत स्थिति संतोषजनक पाये जाने पर इस कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किया जावेगा।
9. निविदा अन्तर्गत आदेश प्रसारित करने योग्य फर्म को किराये हेतु कंपनी से अनुबंध करने अथवा वाहन लगाने से पूर्व आदेशित राशि की **10 प्रतिशत राशि डीडी/बैंकर्स चेक** के माध्यम से सुरक्षा निधि के रूप में (जिस पर ब्याज देय नहीं होगा) कंपनी के पास जमा करना होगा। फर्म के निवेदन पर सुरक्षा निधि की कटौती उनके प्रथम तीन देयकों से भी की जा सकेगी। सुरक्षा निधि की वापसी सफलतापूर्वक अनुबंध की समाप्ति पर किया जायेगा। आदेश की कंडिकाओं का उल्लंघन करने पर उक्त सुरक्षा निधि को राजसात किया जा सकता है।
10. प्रस्तुत निविदा पर अपना सही पता टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखें ताकि कंपनी द्वारा आपसे पत्राचार किया जा सके। गलत अथवा अपूर्ण पता होने के कारण पॉवर कंपनी के द्वारा भेजे गये पत्र एवं सूचना के न मिलने पर पॉवर कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी।
11. वाहन किराये पर लेने संबंधी विशेष नियम एवं शर्तें **परिशिष्ट-दो** में संलग्न है।
12. पॉवर कंपनी को यह अधिकार है कि किसी भी परिस्थिति में निविदा खोलने संबंधी कार्यवाही आवश्यकतानुसार निरस्त की जा सकती है एवं पॉवर कंपनी द्वारा इस पर पुनः कार्यवाही की जा सकती है।
13. संचार व्यवस्था में अपरिहार्य कारणों से हुए विलंब की कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी।
14. निविदाकर्ता फर्म के लिये यह आवश्यक होगा कि वह निविदा के समस्त पृष्ठों पर फर्म की सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ इस कार्यालय से जारी मूल प्रपत्र में ही भरकर जमा करें।
15. निविदा अन्तर्गत वाहन सेवा हेतु फर्म को जारी कार्य आदेश की किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर अथवा फर्म द्वारा संतोषजनक सेवा उपलब्ध न कराने पर होल्डिंग कंपनी द्वारा 30 दिवस का नोटिस जारी कर कार्य आदेश को निरस्त किया जा सकेगा।
16. निविदाकर्ता द्वारा **"प्राइस बिड"** में दी जाने वाली दरों में लागू जीएसटी की गणना पृथक से दर्शावें।
17. वाहन के किराए हेतु प्रस्तुत सभी देयकों में से आयकर की कटौती नियमानुसार 1.5 (देढ़) प्रतिशत की दर से की जायेगी तथा जिस फर्म को जीएसटी देय होगा, उनके मासिक देयकों से 2% TDS-GST (1% CGST & 1% SGST) की कटौती की जावेगी। वित्तीय वर्ष के पश्चात अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त कटौती का टी.डी.एस. प्रपत्र संबंधित वित्त विभाग से प्राप्त किया जा सकेगा।
18. पेन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं बैंक खाते की निरस्त की हुई चेक की एक मूल प्रति निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है।
19. वाहन उपलब्ध कराने के पूर्व वाहन का पंजीयन (टैक्सी कोटा में) कमर्शियल इंशोरेन्स, फिटनेस आदि वाहन से संबंधित दस्तावेज कार्यालय अति. महाप्रबंधक (मा.सं.) में जमा करना आवश्यक है।
20. निविदा की वैधता निविदा खुलने से 90 दिन की होगी।

**भवदीय,**

**कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)  
छ.स्टे.पा. होल्डिंग कं.लिमि., रायपुर**

**निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील**

## किराए पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु विशेष नियम एवं शर्तें

- (01) वाहन का पंजीकरण पंजीकृत कंपनी/फर्म/को-ऑपरेटिव सोसायटी के नाम पर होना चाहिए। व्यक्तिगत नाम पर पंजीकृत वाहन को निविदा अन्तर्गत किराया पर किसी अन्य व्यक्ति/फर्म द्वारा उपलब्ध कराने पर संबंधित व्यक्ति से वाहन किराये पर लगाने हेतु घोषणा पत्र दिया जाना होगा।
- (02) वाहन का शासकीय कर एवं बीमा पॉलिसी इत्यादि का भुगतान पूर्ण होना चाहिए। वाहन की बीमा पॉलिसी में पैसेन्जर का इन्श्योरेंस होना आवश्यक है एवं वाहन का पंजीयन तथा बीमा के अद्यतन दस्तावेज की छायाप्रति भावपत्र के साथ संलग्न होना अनिवार्य है। नया वाहन होने की स्थिति में उपरोक्त दस्तावेज की छायाप्रति वाहन लगाये जाने के पश्चात जमा कराना आवश्यक है।
- (03) वाहन के साथ दो वाहन चालक, आदेशानुसार प्रदाय किया जाना है।
- (04) वाहन चालकों के ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी. तथा वाहन चालकों के उपस्थिति पंजीयन के साथ उसके खाते में जमा की गई वेतन की राशि की जानकारी देना आवश्यक है, तत्पश्चात् ही मासिक देयक पारित किया जा सकेगा।
- (05) वाहन की मासिक दरे वाहन चालकों, पेट्रोल/डीजल, आयल एवं अन्य व्ययों सहित दी जानी चाहिए तथा जीएसटी पृथक से बताया जाना चाहिए।
- (06) वाहन किराये पर लेने के पश्चात्, वाहन या वाहन चालकों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति के लिये पॉवर कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। वाहन मरम्मत का संपूर्ण भार, वाहन मालिक को वहन करना होगा। जिसके लिये कोई क्षतिपूर्ति कंपनी द्वारा देय नहीं होगी।
- (07) वाहन के विस्तृत परीक्षण के उपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात ही अनुबंधित किया जावेगा।
- (08) वाहन चालकों द्वारा कार्य पर अनुपस्थित होने पर प्रतिदिन प्रति वाहन चालक न्यूनतम ` 500/- या न्यूनतम मूल दैनिक वेतन + 50% जुर्माना जो भी अधिक हो, की कटौति देयक में से की जावेगी व पावर कंपनी वाहन के किसी अन्य वैध ड्राइविंग लाईसेंसधारी सक्षम वाहन चालक से वाहन चलवाने के लिये स्वतंत्र होगी।
- (09) किसी भी माह में वाहन के उपयोग में कुल 24 घंटे से अधिक समय तक व्यवधान नहीं होना चाहिए। वाहन को 24 घंटे से अधिक खराब रहने की स्थिति में वाहन मालिक को दूसरे समकक्ष वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
- (10) वाहन दुर्घटना की स्थिति में भी समकक्ष वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी अन्यथा वाहन अनुपलब्ध माना जायेगा एवं अनुपलब्धता के नियमानुसार कटौती की जायेगी।
- (11) वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर एवं किसी भी माह में वाहन के उपयोग में कुल 24 घंटे से अधिक व्यवधान की स्थिति में वाहन के मासिक देयक से अनुपस्थित अवधि के लिए स्वीकृत समानुपाती दर पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना सहित कटौती की जाएगी।
- (12) वाहन 24 घंटे कंपनी की सेवा में ही रहेगा तथा नियंत्रक अधिकारी के आदेशानुसार वाहन का चालन होगा।
- (13) पॉवर कंपनी को यह अधिकार होगा कि आपात स्थिति में कंपनी के वाहन चालक से वाहन चलवा सके।
- (14) महाप्रबंधक (वित्त), छ.ग.स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी द्वारा वर्ष की प्रत्येक तिमाही में डीजल की औसत दर की घोषणा की जाती है। निविदा खुलने की तिमाही के लिये घोषित दर कान्ट्रेक्ट के लिये बेस दर मानी जावेगी तथा बाद की तिमाहियों में घोषित दर के आधार पर मासिक दर का पुनरीक्षण किया जायेगा तथा शासन द्वारा वाहन चालक के न्यूनतम वेतन की दर का पुनरीक्षण किये जाने पर वाहन चालक की दर में, परिशिष्ट-चार में वर्णित फार्मूले के अनुसार परिवर्तन किया जावेगा। सिर्फ डीजल पर चलने वाले वाहनों हेतु ईंधन, मूल्य में परिवर्तन की शर्त लागू होगी, अन्य ईंधन पर चलने वाले वाहनों के संबंध में ईंधन की दर अपरिवर्तित रहेगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

Registered Office : Second Floor, Vidyut Sewa Bhawan, Dangania, Raipur- 492013(Chhattisgarh)

Phone-2574113, Fax- 0771-2574040, website : [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), e-mail-dgmhrs@cspc.co.in

- (15) वाहन के मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
- (16) वाहन किराये के देयक का भुगतान, देयक जमा करने के 30 दिन के अन्दर सामान्यतः कर दिया जाता है। अपरिहार्य विलंब के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी तथा कोई अतिरिक्त शुल्क मान्य नहीं होगा।
- (17) वाहन चालकों को पर्याप्त राशि ईंधन एवं आपात् कार्य हेतु देय होगी। वाहन में समय पर ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
- (18) वाहन किराये पर देने हेतु ` 300/- के स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा। किये जाने वाले अनुबंध के लिए गैर-न्यायिक स्टॉम्प पेपर का मूल्य फर्म को वहन करना होगा।
- (19) अनुबंध करने के समय आदेशित फर्म द्वारा टेक्सी कोटा के रजिस्ट्रेशन एवं इन्श्योरेंस की मूलप्रति को इस कार्यालय में अवलोकन हेतु छायाप्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- (20) टोल टेक्स/पार्किंग शुल्क का भुगतान प्रथमतः वाहन मालिक द्वारा देय होगा, जिसे वास्तविक मूल्य पर संबंधित माह के मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा।
- (21) वाहन का चुनाव एवं निरस्तता के लिये पॉवर कंपनी के पास सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
- (22) वाहन चालकों के पास वैध ड्रायविंग लायसेंस होना चाहिए। वाहन चालक को मृदुभाषी तथा अच्छा व्यवहार/आचरण का होना चाहिए। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर वाहन चालक बदलकर अच्छे वाहन चालक को नियुक्त करना होगा। चालक के वैध लाइसेन्स की छायाप्रति इस कार्यालय में जमा करानी होगी।
- (23) वाहन चालकों को वाहन के नियंत्रक अधिकारी से प्राप्त निर्देशानुसार कर्तव्य निर्वहन करना होगा।
- (24) किसी भी माह में वाहन सिर्फ एक दिवस रखरखाव हेतु दिया जावेगा, रखरखाव के लिए वाहन किस दिन दिया जाना है, इसका निर्णय नियंत्रक/अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जावेगा।
- (25) वाहन चालकों को ड्यूटी पर सफेद गणवेश में उपस्थित होना अनिवार्य है। वाहन चालकों के पास मोबाईल फोन भी उपलब्ध रहना चाहिए। इस हेतु पॉवर कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
- (26) वाहन चालकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से नियमानुसार किया जाना आवश्यक है।
- (27) वाहन केवल निर्धारित ईंधन पर चलाना स्वीकार किया जायेगा। वाहन का चालन अन्य किसी भी वैकल्पिक ईंधन पर स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (28) अनुबंधित अवधि के दौरान वाहन पर “ON C.S.P.H.C.Ltd. DUTY” अंकित करवाया जाये एवं अनुबंधित अवधि उपरांत उक्त शब्दों को हटाया जाना अनिवार्य होगा।

कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)  
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. रायपुर

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

## वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु दरें

निविदा क्रमांक : 01-01/टी-वाहन/2020-21/03/

रायपुर, दिनांक 14.10.2020

क्र	वाहन का विवरण				वाहन का किराया		
	वाहन का प्रकार	वाहन का मेक	माडल	पंजीयन क्रमांक	1000 कि.मी. चालन के लिए प्रतिमाह दर रुपये	1000 कि.मी. से अधिक चालन के लिये दर रुपये प्रति किलोमीटर	1000 कि.मी. से कम चलने पर कटौती की दर रुपये प्रति कि.मी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एक नग मारुति स्विफ्ट/ईग्निस, हुंडई ग्रैंड आई-10, टाटा टिगोर, टाटा बोल्ट या समकक्ष वाहन						
2.	अतिरिक्त वाहन चालक हेतु मासिक दर (EPF + ESIC+Bonus की दर जोड़कर)						
3.	GST @						
4.	कुल योग						

Please give following information also.

Sl. No.	Particulars	
1.	11 digit Bank Account Number	
2.	Name of Account Holder/Account Name	
3.	Banks MICR code	
4.	Name of the Bank	
5.	Address of Bank	
6.	City of Bank	
7.	Bank Branch	
8.	Bank IFSC code	
9.	PAN No. (copy to be enclosed)	
10.	Mobile No./Phone No.	
11.	GST No. (copy to be enclosed)	
12.	EPF Registration No.	
13.	ESIC Registration No.	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पता

कार्यालय -

निवास

फोन कार्यालय -

निवास -

मोबाईल -

Registered Office : Second Floor, Vidyut Sewa Bhawan, Dangania, Raipur- 492013(Chhattisgarh)

Phone-2574113, Fax- 0771-2574040, website : [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), e-mail-dgmhrs@cspc.co.in

Revision in hiring charges of any contract signed on the basis of competitive bids will be permitted for any change in the minimum wages of driver. EPF/ESIC/Bonus rates and fuel prices with respect to., as the case may be, the driver wages, statutory payment rates and fuel price in force on the date of opening of bids as follows :-

**(B) Revision (upward or downward) on account of change in the price of fuel:**

83 Paise per Km for change in the price of fuel by Rs. 10 (Ten) per liter.

This revision will be allowed at the end of each of the four quarters (1<sup>st</sup> quarter of a financial year will commence from 1<sup>st</sup> April of the FY) based on the average fuel price for the relevant quarter.

The average diesel price for each quarter will be posted in the Power Companies' website by the G.M./E.D. (Finance), CSPHCL.

In the event of part quarter, i.e. the quarter in which date of commencement or conclusion of contract falls, no variation shall be allowed if part-quarter covered by the contract is less than 45 days. If the part-quarter is equal to or more than 45 days, the average diesel price posted for the quarter shall be considered for computation of claims for such part quarter.

**(B) Revision on account of revision in minimum wage of driver:**

Additional payment due to revision in minimum wages

$$= \frac{(L2-L1) \times \text{Days of run as per contract}}{\text{Number of days in the month}}$$

Where:- L1 = Monthly minimum notified wage of driver on the date of Opening of tender.

L2 = Monthly minimum notified wage of driver of the month for which payment is to be made.

**(C) Revision on account of EPF, ESIC and Bonus:**

$$\text{Additional payment} = \frac{(L2-L1) \times 0.2458 \times \text{Days of run as per contract}}{\text{Number of days in the month}}$$

Where:- L1 = Monthly minimum notified wage of driver on the date of Opening of tender.

L2 = Monthly minimum notified wage of driver of the month for which payment is to be made.

The Factor 0.2458 is based on the current rates of EPF @ 13 %, ESIC @ 3.25% and Bonus @ 8.33% totaling to 24.58%. In case any of the rates is revised the factor will get changed accordingly.